हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 07 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

जातिगत आरक्षण की अवधि बढाने को सुप्रीम कोर्ट में समता आन्दोलन की चुनौती

क्यो न सांसद- विधायकों का जातिगत आरक्षण रोक दें: सुप्रीम कोर्ट

क्यों नहीं एमएलए, एमपी आरक्षण को पंचायत चुनावों की तर्ज पर रोटेशन से कर दिया जाए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिये लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में जातिगत सदस्यों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढाये जाने पर केन्द्र सरकार व भारतीय निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की आगामी सुनवाई संवैधानिक पीठ में करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार व निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्यों न याचिका के लम्बित रहते हुए संविधान संशोधन -104 की क्रियान्विति और लोकसभा में सांसदों व राज्य विधानसभाओं में विधायकों को दिये जा रहे जातिगत आरक्षण पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिस डीवाई चंद्रचूड सिंह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने यह आदेश समता आन्दोलन समिति व दस अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया।

चुनाव में 20 से 30 साल के लिए एक सीट एक वर्ग के लिए रखना गलत

प्रार्थियों की ओर से पैरवी करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण, अधिवक्ता शोभित तिवाडी व पाराशर नारायण शर्मा ने कहा - लोकसभा व राज्यसभा में जातिगत सदस्यों के लिए बार-बार आरक्षण की अवधि बढाना संविधान के मूलभूत ढांचे व उसकी विशेषताओं के विपरीत है। लोकसभा या विधानसभा की सीटों को आगामी 20-30 साल के लिए किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित करना गलत है और यह एक पीढी को खत्म करने के समान है। ऐसे में वैकल्पिक तौर पर जब तक यह जातिगत आरक्षण पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक सांसद एवं विधायकों को भी आरक्षण पंचायत चुनाव की तर्ज पर रोटेशन से दिया जा सकता है।

यह आरक्षण बंद नहीं होने तक राजनीतिक पार्टियॉ सीटों की बजाय टिकटों के आधार पर भी आरक्षण को जारी रख सकती है।

हर दस साल में आरक्षण की समीक्षा न होने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एनसीबीसी से मांगा जवाब

हरियाणा- राजनीति के लिए आरक्षण का इस्तेमाल और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए आरक्षण को रिव्यू न करने को चुनौती देने वाली स्नेहाचंल चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी से जवाब तलब किया हैं।

स्नेहाचंल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट को बताया गया कि एनसीबीसी की गाइड लाइन के अनुसार व इंदिरा साहनी और राम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि हर दस साल में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आजादी के बाद जब से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तब से लेकर आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई। हमेशा से ही राजनीति के लिए आरक्षण को वैशाखी के रूप में इस्तेमाल किया गया हैं। वोट बैंक के लिए आरक्षण पाने वाली जातियों की संख्या में बढ़ोत्तरी तो कर दी जाती है, लेकिन आज तक किसी भी जाति को इससे बाहर नहीं किया जाता हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरक्षण लागू करते हुए हर 10 साल में आरक्षण की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह कार्य किसी ने भी आज तक नहीं किया।

बता दे कि हरियाणा में आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को साल 1995 में अपनाया गया और मंडल कमीशन की इसी रिपोर्ट के आधार पर शेड्यूल ए और शेड्यूल बी तैयार किया गया था। जिसमें कहा गया था कि 20 वर्षों में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को 15 साल बाद 1995 में अपनाया गया था, ऐसे में 2020 में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा हो चाहिए थी। परंतु वर्ष 2017 तक 37 बीत गए, लेकिन किसी ने भी समीक्षा के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि एनसीबीसी और इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण व्यवस्था के लिए आंकड़े एकत्रित करने और समीक्षा करने के लिए पूरी प्रकिया को स्पष्ट किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने हितों को साधने के लिए इसे अपनाने का प्रयास ही नहीं किया। इतना ही नहीं वर्ष 1993 में कंबोज कमीशन वर्ष 1999 में गुरनाम सिंह कमीशन बनाया गया इन सभी में भी कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात तो कहीं गई, लेकिन आंकड़ों के आधार पर किसी भी जाति को बाहर करने की बात नहीं की गई। याची ने कहा कि 1951 से लेकर आज तक केवल जातियों को शामिल ही किया गया हैं।

स्नेहाचंल चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर हाईकोर्ट ने याची से कहा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, जिस पर याची ने कहा कि नए सिरे से आंकड़े एकत्रित करते हुए यह देखा जाना चाहिए कि किस जाती को आरक्षण की जरूरत है या किसे नहीं। उदाहरण के तौर पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 1951 में 71 जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ था, क्या इनमें से एक भी जाति आगे नहीं बढ़ पाई हैं।

समता कोर कमेटी मे चार प्रस्ताव पारित ।

जयपुर। दिनांक 15 जुलाई 2023 को समता आन्दोलन राजस्थान प्रदेश मुख्यालय, जयपुर मे आयोजित कोर कमेटी की बैठक मे चार प्रस्ताव पारित किए गए। पहला- नीट 2023 मे आरक्षण पीड़ित मेरीटोरियस बच्चों को मुआवजा, क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाये। दूसरा- नियुक्ति,पदोन्नति के ऑनलाइन रोस्टर, त्रैमासिक अपडेशन और नियुक्ति-पदोन्नति से पहले रिक्त रोस्टर बिन्दुओं की अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा हेतु हाईकोर्ट मे याचिका लगाई जाए। तीसरा- श्रीमान अशोक गहलोत को जातिगत राजनीति से रोकने, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने से रोकने और जातिगत आरक्षण मे अविधिक बढोतरी करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, और चौथा- समता ज्योति मासिक पत्रिका मे विज्ञापन शुरु किये जाएं। बैठक के अंत मे अध्यक्ष द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया।

अध्यक्ष की कलम से

बहुआयामी विशेषण

साथियों,

अध्यक्ष के रूप में खुशी प्रकट करने का समय है। इसी 16 जुलाई को सीताबाड़ी, जयपुर के सामुदायिक भवन में समता आंदोलन के शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई। प्रदेश सरकार में लगभग 30 विभागों में प्रकोष्ठ बनाने की प्रक्रिया के तहत जितने भी प्रकोष्ठ बने उनमे से शिक्षा प्रकोष्ठ में बी.एल. विजय के नेतृत्व में यह आयोजन किया।

आज समता आंदोलन देशभर में अपनी अलग और विशेष पहचान रखता है तो मात्र इसलिए कि यह सवैंधानिक सभ्यता का आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो शुरू तो कर्मचारियों के मुद्दों से हुआ था लेकिन आज एक बहुआयामी विशेषण बन चूका है। जिस तरह पत्थर और लोहे को काटने वाली आरी को पानी से ठंडा रखा जाता है उसी तरह देश में उबाल ले रहे जाती आरक्षण के मुद्दों पर सवैधानिक शीतलीकरण काम करता है समता आंदोलन है।

प्रदेश-देश के सरकारी दफ्तरों में जहाँ-जहाँ भी समता आंदोलन की इकाईयां है वहां के अफसर विधि और नियमों के प्रति चौकन्ने रहते है। यह हम सब की जीत है। इस जीत को और अधिक फलिभूत बनाने के लिए हम आह्वान करते है कि सभी विभागों के प्रकोष्ठ सक्रिय हों और अपनी मंजिल प्राप्त करें।

समय आ गया है कि हम अपनी पुंजीभूत शक्ति का भरपूर प्रयोग करके जो प्राप्त कर चुके हैं उस पर ठहरे नहीं और अपनी मंजिल को प्राप्त करके इतिहास की आलोकित रेखाएं बने। जो समता सैनिक रिटायर हो चुके है वे इस सच को स्वीकारे कि अब उनके जीवन का स्वर्णकाल है। इसका भरपूर आनंद ले और कीर्तिमान बनावे।

जय समता

सम्पादकीय

''जाति आरक्षण:: प्रश्न तो बनता है''

लोगों को कई बार कहते सुना है की मधुमेह अपने आप मैं कोई बिमारी नहीं है लेकिन अनेक बीमारियों का कारक हैं। ठीक इसी तरह जात के आधार पर आरक्षण कोई बुराई नहीं हैं लेकिन भारत के बढते पांवो में जितनी भी बेड़िया है प्राय: वे सभी जाति आरक्षण के कारण ही हैं ऐसा बार-बार सुनने को मिलता है । हालाँकि जाति आरक्षण के नाम पर देश में अवसरों और संसाधनों कि जितनी जैसी लूट मात्र इसके कारण हो रही है वह ध्यान तो आकर्षित करती ही हैं लेकिन विकल्प के अभाव मैं निराश भी करती है।

जाति आरक्षण का सबसे भयानक और घृणित दुरुपयोग ये हुआ कि भारतीय सविंधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से बटंवारे के बाद 299 रह गए । इनमे से 229 चुने हुए और 70 मनोनीत सदस्य थे। इन सभी 299 स्वतंत्रता सेनानियों ने दो साल गयारह महीनें और सत्रह दिनों के विचार मंथन के बाद सविंधान की रचना की जो सविंधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के हस्ताक्षरो के बाद 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। यहाँ खेद और संकोच की बात ये है की कथित राजनैतिक पार्टियों ने जातीय विष फैलाकर यह स्थापित कर दिया है कि सविंधान के निर्माता तो डाॅ भीमराव अंबेडकर हैं।

यदि इस झूठ को कसौटी पर कसा जाये तो एक और भयानक सच सामने आता हैं। और वो यह है कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने स्वयं सविंधान में स्थापना की है कि लागू होने के पहले दस सालों के बाद जाति आरक्षण स्वंय समाप्त हो जायेगा!! फिर यह बीमारी आजादी के 75 सालों बाद तक कैसे ला-ईलाज मर्ज बनकर देश को खोखला किये जा रही है ??

संभवत: भारतीय संविधान दुनिया का एक मात्र है जो ''बदले की भावना'' का दस्तावेज है। मात्र कल्पना के आधार यह मान लिया गया कि आजादी के पहले कथित दलितों के साथ कथित उच्चजात के लोगों ने भयंकर अन्याय किया। जबकि तथ्य ये है कि इंग्लैण्ड के संविधान से 80 सालों तक शासित रहे भारत में केवल दो ही जात थी। एक प्रभु वर्ग अर्थात अंग्रेज और दूसरे दा वर्ग अर्थात भारतीय। इनमें से दास वर्ग की सम्पूर्णता में हालत और भी खराब थी क्योंकि देश की 565 रियासतों में वहीं के राजाओं का मौखिक संविधान भी लागू था। इन हालातों में किसने किसके साथ क्या अन्याय किया यह पता लगाना असंभव जैसा कठिन है। फिर भी इसी आधार पर जात आधारित आरक्षण 75 सालों से फल-फूल रहा है।

ये कैसा ''अमृत महोत्सव'' है कि सरकारें जाति आरक्षण से डरकर उसका मुकाबला छोड़कर पूरे देश को बेचने में लगी हैं। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझ जायेगी ? ऐसा सोचना शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन तक सिर को मिट्टी में छुपाकर खुद को सुरक्षित समझने जैसा है। क्योंकि एक दम साफ है कि अब धर्मान्धता और जातीयता ने गठजोड़ बना लिया है। इससे भारत राष्ट्र बेहद पेचीदा हालातों में घिर चुका है। सविंधानएसंसद और सरकारों के होते हुए यदि देश का जन जात के आतंक से आतंकित है तो प्रश्न बनता है कि फिर भारत को आजादी की आवश्यकता ही क्या थी। क्योंकि आजादी से पहले कथित दलितों के साथ को कथितबुरा व्यवहार बताया जाता हैं उससे अधिक बुरा बर्ताव तो सवैंधानिक भारत में कथित समर्थों के साथ किया जा रहा है । और दो टूक तथ्य है कि दूसरी बात अधिक भयानक और शर्मशार करने वाली हैं ।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

मणिपुर ने दोहरायी राजस्थान की शर्म

मणिपुर हिंसा!! अद्भूत, अकल्पनीय होते हुये भी अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। कोई भी सभ्य इन्सान, सरकार अथवा देश हिंसा का कभी भी समर्थक नहीं हो सकता । बहुत पहले गांधीवादी नेता निर्मला देश पाण्डे ने मुझसे कहा था कि आतंकवाद शब्द उचित नहीं है। क्योंकि आंतक मूलरूप से सामुहिक चेतना न होकर व्यक्तिगत सोच है।

लेकिन हम यहाँ मणिपुर के कथित राजनैतिक अथवा सामाजिक फलितार्थ पर चर्चा नहीं कर रहे है। हम थोड़ा आश्चर्य के साथ यह विचार करना चाहते है कि मात्र 17-18 साल के अन्तराल पर कोई दुर्घटना या घटना उसी परिणाम में पुन: घटित होती है तो यह मानना पड़ेगा कि भारत देश विस्तार बहुत होते हुये भी विविधता में एकता सचमुच में दिखाई देती है।

याद करे! सन् 2005-06 का कालखण्ड जब राजस्थान में गूजरों ने स्वयं को जनजाति में मिलाने का आन्दोलन किया था तब जनजाति नहीं होते हुये भी मीणा समाज के लोगों ने गूजरों का भयंकर और हिंसक विरोध किया था। पूरा राजस्थान ही नहीं अखिल भारत स्तब्ध रह गया था। दिल्ली-मुम्बई रेलमार्ग बाधित हो जाने से सैंकड़ों बच्चे, बूढे, महिलाएँ, बीमार प्लेटफार्मों पर अटक जाने से तिलमिला रहे थे। सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया तो पुलिस ने गोलियाँ चलाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 72 लोग मारे गये थे।

मणिपुर के हिंसक हालात ऐसे ही दो जातीय समूहों के टकराव की घटना है। वहाँ कुकी और मैती दो समुदाय हैं। इनमें से पहाड़ों पर रहने वाले कुकी लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या है। वे मणिपुर की मुख्य समतल भूमि पर जमीन खरीद सकते हैं। झगड़ा इस बात को लेकर शुरू हुआ कि जब मैती समूह के लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीदने दी गई और हिसां भड़क उठी।

कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। और जब मैती लोगों ने भी इस दर्जे की मांग की जो ठीक राजस्थान की तरह मीणा-गुजरों में हिंसक संघर्ष हुआ था उससे कहीं बड़ा और हिंसक झगड़ा शुरू हो गया और लगभग तीन माह से चल रहा है। जिसमें घृषित और बहुत घृणित घटनाएं भी हुई हैं। कुकी समुदाय को अधिक हिंसक और आक्रमक माना जाता है और वे आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग तो करते ही हैं। बल्कि सेना को कार्रवाई से रोकने के लिए महिलाओं को भी सामने कर देते है। दुखद ये है कि मरने वालों में अधिकांश मैती समुदाय के हैं जो वहाँ पर बहुसंख्यक है। इससे भी अधिक दुखद और शर्मनाक बात ये है कि राजस्थान के कथित जनजातीय मीणा लोगों ने सोशल मीडिया पर कुकी जनजाति का समर्थन किया है।

मणिपुर हिंसा और पूर्व में राजस्थान में हुई जातीय हिंसा में समानता देखने के बाद यह भी जान लेना जरूरी है कि ऐसे ही हालातों के लिए 1961 के जून माह में पंडित नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि आगे चलकर जातीय आरक्षण पर चलना विध्वंशकारी होगा। और आज ठीक वैसा ही हो रहा है।

यह बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है कि राजस्थान में मीणा-गुजर के बीच जिस बहस को लेकर खूनी संघर्ष हुआ तब गोलीकांड करने वाले पुलिस कप्तान को प्रमोशन देकर दिल्ली भेज दिया गया लेकिन शासन और प्रशासन अपनी बाकी सभी जिम्मेदारियों से हाथ झाड लिये। अन्यथा क्या ये संभव था कि खून-खराबे की कोई घटना अपने ही देश में फिर से दोहरा दी जाती? खुले मन से कहा जा सकता है कि पण्डित नेहरू जैसी दूरदृष्टि के नेता अब नहीं है।

यह बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है कि राजस्थान में मीणा-गुजर के बीच जिस बहस को लेकर खूनी संघर्ष हुआ तब गोलीकांड करने वाले पुलिस कप्तान को प्रमोशन देकर दिल्ली भेज दिया गया लेकिन शासन और प्रशासन अपनी बाकी सभी जिम्मेदारियों से हाथ झाड लिये। अन्यथा क्या ये संभव था कि खून-खराबे की कोई घटना अपने ही देश में फिर से दोहरा दी जाती ?

हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि रक्तबीज बन चुके जातिगत आरक्षण को नित नई खाद पानी देकर देश आखिर किसका पोषण कर रहा है? आजादी के 75 सालों में कुल जमा पूंजी यही है देश की योग्यता को कुचलकर जाति आरक्षण के नाम पर जिन लोगों को आगे बढाया गया वे प्राय: सभी दूरदृष्टि के स्थान पर स्वार्थसिद्धि को ही अपना दायित्व मानते है।

हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि रक्तबीज बन चुके जातिगत आरक्षण को नित नई खाद पानी देकर देश आखिर किसका पोषण कर रहा है? आजादी के 75 सालों में कुल जमा पूंजी यही है देश की योग्यता को कुचलकर जाति आरक्षण के नाम पर जिन लोगों को आगे बढाया गया वे प्राय: सभी दूरदृष्टि के स्थान पर स्वार्थसिद्धि को ही अपना दायित्व मानते है।

अभी भी समय है कि संसद सरकारें कुछ करें। यदि वे नहीं करती तो पार्टियाँ कुछ करें। विशेषकर नार्थ-ईस्ट के सातों प्रदेशों के लिए कुछ अलग और गंभीर प्रयास किये जावें लकिन वे जातिवादी कदापि नहीं हो। नेताओं और पार्टियों ने जब से जनहित का चिंतन छोड़कर धनहित का आदर्श अपनाया है जब से सभी कुछ का संतुलन बिगड़ा है। यह समझ भी विकसित की जानी बहुत जरूरी है कि सभी कुछ को कानून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। नीति तभी फलिभूत होती है जब नैतिकता हो।

- समता डेस्क

पौराणिक कथन : ''रेणुका''

विष्णु के छठे अवतार परशुराम की माता जो विदर्भराज प्रसेनजित की पुत्री ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी।

जातिवाद के गाजे-बाजे,
सब असमंजस के दरवाजे।
संविधान अब खड़ा सोचना,
कहाँ उठे औ कहाँ विराजे।।

कविता

दंभ झूठ के वारे-न्यारे

ये आजादी का अमृतकाल,
सभी के मन दिखे थकान ।
विश्वासों को जात निगलती-
उठते बिना नीवं मकान ।।
इस कोने से उस कोने तक,
अब तमस की लगी दुकान,
दूजे का हित छीन झपट कर-
खाये भरा पेट पकवान ।।
अगड़म- बगड़म सारे तिकड़म,
दंभझूठ के वारे-न्यारे
जो जन चाहे रोटी पानी,
उनके भाग्य लिखे बस नारे
लेन-देन के नियम न कोई
अटके सब शुद्ध भुगतान।।
ये आजादी का अमृतकाल,
सभी के मन दिखे थकान ।
विश्वासों को जात निगलती-
उठते बिना नीवं मकान ।।
कि विज्ञापन का दौर नया है,
हर वर्तुल चौकोर भया है,
सोच समझ की सारी चौपड़-
ज्यों कि जटिल घोंसला बया है,
संकट मोचक खुद संकट है-
बिन सहारे हिन्दुस्तान....।।
ये आजादी का अमृतकाल,
सभी के मन दिखे थकान ।
विश्वासों को जात निगलती-
उठते बिना नीवं मकान ।।
सुन रे मन निराश क्यूँ होता,
तोड़ पहाडी बहता सोता,
हर जन नित ही निज सपनों में-
अक्सर रोज लगाता गोता,
जातिवाद की मरूधरा पर
खंडित तानसेन की तान।।
ये आजादी का अमृतकाल,
सभी के मन दिखे थकान ।
विश्वासों को जात निगलती-
उठते बिना नीवं मकान ।।

-- सत्यनारायण गुप्ता --

दूसरा उपाय या रास्ता

गतांग से आगे:

उसके बाद तो वर्ग, जाति और अल्पसंख्यक के संदर्भ में सामाजिक न्याय का दौर ही चल पडा ।

ऐसे समूहों का नियंत्रण ऐसे ही लोग का रहे हैं जो स्वयं पूर्व-अधिकारी हैं। उनकी अभद्रता ही वास्तविकता का प्रमाण है । इस पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो बस इसीलिए कि वे निम्न जाति के हैं और वह नहीं चाहता कि ये निम्न जाति के लोग सत्ता या अधिकार प्राप्त करें ।आज स्थिति यह है कि कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी- जो आरक्षण के जरिए सेवा में आया है - के खिलाफ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी कुछ नहीं लिख सकता, भले ही वह अधिकारी अयोग्य हो और उसका ठोस प्रमाण भी हो; क्योंकि वह डरता है कि कहीं उस पर 'अनुसूचित जाति / जनजाति-विरोधी' होने का आरोप न लगा दिया जाए ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछडों और वंचितों को सहायता दी जानी चाहिए । किंतु आज इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है वह सब की वोट की खरीद के लिए; और इसे 'सामाजिक न्याय' का जामा पहना दिया जा रहा है । अपने एक निकटतम सहयोगी द्वारा रैली आयोजित करके पोल खोल दिए जाने के डर से एक राजनेता द्वारा मंडल का सहारा लेने की बात आज की स्थिति को साफ-साफ बयाँ करती है। बँगलादेशियों की अवैध घुसपैठ के प्रयास के मामलें में भी तो इसी तरह की त्रिशंकु स्थिति बनी हुई है ।

इस प्रकार, सामाजिक न्याय की परिणति नैतिक और मानसिक अपंगता के रूप में हो गई है । श्रम कानून ? इनकी बात भी मत करना, क्योंकि ऐसा करके आप गरीब मजदूरों को चोट पहुँचाएँगे; जबकि श्रमिक संगठन भारतीय कामगार वर्ग की शिष्टजन सत्ता बन गया है - विशेषकर उस स्थिति में, जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के श्रमिकों का वेतन व्यक्तिगत क्षेत्र की इकाइयों में काम करनेवाले श्रमिकों के वेतन और भत्ते की अपेक्षा ज्यादा हो। 45,000 करोड रूपए की राशि की बात, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष सब्सिडी पर खर्च की जा रही है ! उनकी बात भी मत करना, क्योंकि ऐसा करके आप गरीबों के पेट पर लात मारेंगे । मुफ्त बिजली की बात ? इसके बारें में कुछ मत कहना, क्योंकि ऐसा कुछ किया तो इसका अर्थ होगा कि आप गरीब किसानों के विरोधी हैं - भले ही यह बिजली उन गरीब किसानों तक नहीं पहुँच रही हो और वे इस मुफ्त बिजली के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार हों, बशर्ते उन्हें बिजली मिले ।न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात करना आपको किसान-विरोधी बना देगा । भले ही इसका लाभ केवल चार ही राज्यों के किसानों को मिल रहा हो और वह भी कुछ अधिक कीमतवाली फसलों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की बात ? इस पर जबान खोलना भी अन्यथा मान लिया जाएगा कि आप उन मजदूरों के विरोधी हैं,

सामाजिक न्याय की परिणति नैतिक और मानसिक अपंगता के रूप में हो गई है । श्रम कानून ? इनकी बात भी मत करना, क्योंकि ऐसा करके आप गरीब मजदूरों को चोट पहुँचाएँगे; जबकि श्रमिक संगठन भारतीय कामगार वर्ग की शिष्टजन सत्ता बन गया है - विशेषकर उस स्थिति में, जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के श्रमिकों का वेतन व्यक्तिगत क्षेत्र की इकाइयों में काम करनेवाले श्रमिकों के वेतन और भत्ते की अपेक्षा ज्यादा हो ।

जिन्होंने अपना खून-पसीना बहाकर 'आधुनिक भारत का मंदिर' तैयार किया है - भले ही स्थिति यह हो गई हो कि इन बीमार इकाइयों में लगे संसाधन को अन्य उत्पादक कार्यों में लगाने पर देश को - और इन मजदूरों को भी - अधिक लाभ मिले ।चीनी पर सब्सिडी ? इसका नाम भी मत लेना- भले ही अधिक पानी चाहनेवाली गन्ने की फसल सूखा संभावित महाराष्ट्र में ही क्यों न उगाई जाती रहे, भले ही इस सब्सिडी का लाभ गन्ना - उत्पादकों की बजाय चीनी मिलों को मिल रहा हो । उर्वरक सब्सिडी ? इसे कम करने का नाम भी मत लेना - भले ही इसका लाभ किसानों को न मिलकर उर्वरक कारखानों को मिल रहा हो, भले ही रासायनिक खादों पर सब्सिडी देकर हम ऐसी कृषि को बढावा दे रहे हों, जो न केवल हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक हो, बल्कि उससे हमारा भोजन भी जहरीला बन रहा हो । मिट्टी के तेल पर सब्सिडी ? उसकी बात करने का अर्थ यह मान लिया जाएगा कि आप गरीबों को उस ईंधन से वंचित करना चाहते हैं, जिसका प्रयोग वे खाना पकाने के लिए करते हैं- भले ही हर कोई जानता हो कि इस मिट्टी के तेल का प्रयोग डीजल में मिलाने के लिए किया जाता है ।कम लाभदायी क्षेत्रों में उद्योग लगाने की बात? इस नीति पर सवाल उठाने पर यह मान लिया जाएगा कि आप देश के पिछडे क्षेत्रों के विकास के खिलाफ हैं- भले ही छूटों का लाभ कुछ लोग कर से बचने के लिए कर रहे हों, चाहे आगे चलकर औद्योगिक इकाइयाँ प्रतिस्पर्धा का सामना न कर सकें ।

आज स्थिति यह है कि कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी - जो आरक्षण के जरिए सेवा में आया है - के खिलाफ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी कुछ नहीं लिख सकता, भले ही वह अधिकारी अयोग्य हो और उसका ठोस प्रमाण भी हो; क्योंकि वह डरता है कि कहीं उस पर 'अनुसूचित जाति / जनजाति- विरोधी' होने का आरोप न लगा दिया जाए ।

इन कार्यक्रमों के पीछे कोई सार्वजनिक हित नहीं है ।और न ही वंचितों, पिछडों के लिए इनकी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । जिसका दाँव लग गया, उसने खींच लिया ।लेकिन यही हमारी नीतियों का 'मानवीय चेहरा' है । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो धनराशि इन कार्यक्रमों पर खर्च की जा चुकी है और आज भी की जा रही है, उसी धनराशि को यदि किसी उत्पादक कार्य में लगाया जाता तो देश का विकास और तेजी से होता और गरीबों की दशा भी बेहतर होती ।

इन कार्यक्रमों के आर्थिक परिणाम तो स्वयं में महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही इनके अन्य हानिकारक परिणाम भी हैं ।

सरकारी नीति में जब एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि विशेष छूटें देकर ही गरीबों के हितों की रक्षा की जा सकती है तो धीरे-धीरे जैसा हमने देखा, इन छूटों की परिधि असीमित होती चली जाती है । और इस प्रकार, राजनीतिक दल तमाम छूटों की वकालत करता है - में अच्छा संकेत भेजें ।

लेकिन सामाजिक न्याय की अंध भक्ति का दबाव इतना जोरदार होता है कि सच्चाई कहने की हिम्मत करनेवाला भी चुप हो जाता है । अप्रैल 1992 में राज्य विधानसभा में एक बहस का जवाब देते हुए असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने स्वयं स्वीकार किया था कि राज्य में 30 लाख बँगलादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं । इस वक्तव्य के 48 घंटे के भीतर ही मुसलिम संयुक्त मोर्चा के प्रमुख ने दहाडते हुए दावा किया कि उनकी (हितेश्वर सैकिया की) सरकार गिरा दी जाएगी ।अब सैकिया ने तत्काल घोषणा कर दी कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था; जबकि विधानसभा में उन्होंने स्वयं यह वक्तव्य दिया था ।

- शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक
'आरक्षण का दंश' से

समता आन्दोलन के शैक्षिक प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन

जयपुर। सोलह जुलाई 2023 को सामुदायिक भवन, शान्ति विहार, सीतावाडी टोंक रोड पर समता आन्दोलन के शैक्षिक प्रकोष्ठ का प्रान्तीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का प्रारम्भ मां सरस्वती की पूजा अर्चना व समता गान हुआ। सम्मेलन में सभी शैक्षिक प्रकोष्ठ के सम्भाग व जिला अध्यक्ष, सचिव एकत्रित हुए। संगोष्ठी में राज्य की शैक्षिक व्यवस्था की दशा व दिशा पर चर्चा हुई। राज्य के विद्यालयो में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सही नहीं है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

शिक्षक भर्ती में न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाला कोई भी आरक्षित या सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी शिक्षक नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट ना हो।

विद्यालयों का वातावरण व्यसन मुक्त हो। कोई भी शिक्षक कक्षा में

किसी भी प्रकार का व्यसन करके ना जाए। यदि ऐसा करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति के चकाचौंध को रोका जाए व भारतीय जीवन मूल्यों का उत्साहवर्धन किया जाए। शिक्षकों, बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। आधुनिक तकनीक का आवश्यकतानुसार सदुपयोग किया जाए, अनावश्यक दुरुपयोग से बचा जाए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि कैडर बेस पदोन्नति हो रही हैं यानि सामान्य पद पर आरक्षित वर्ग की पदोन्नति नहीं हो सकती चाहे वह सीनियर ही क्यों न हो। यदि ऐसा है तो विरोध करें । इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसके लिए समता आन्दोलन आपकी सहायता करेगा।

शैक्षिक प्रकोष्ठ के सदस्य समता आन्दोलन के राष्ट्रवादी व समतावादी विचारधारा को कौने कौने तक पहुँचायें। समता आन्दोलन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार व जातिवादी राजनीति के खिलाफ है।

एट्रोसिटी एक्ट के बारे में भी लोगों जागरूक करें किसी भी प्रकार जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता ना करें। झूंठे मुकदमों से डरें नहीं, डटकर मुकाबला करें। एफ आर लगने पर मानहानि का दावा करें। सीधे गिरफ्तारी नहीं होती, जांच में पुलिस का सहयोग करें। यदि आरक्षित वर्ग का अधिकारी या कर्मचारी एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करता है तो उसके विरूद्ध भी कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता शैक्षिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय ने की तथा विशिष्ट अतिथि ऋषि राज राठौड रहे।

कार्यक्रम के अन्त में महामन्त्री आर एन गौड ने सभी से निर्भीक होकर काम करने की अपील की व सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

आयोजक रामप्रकाश सारस्वतए शैक्षिक प्रकोष्ठ महामंत्री रहे। जिन्होंने माकूल व्यवस्थाएं की।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री को संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने से रोका जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घृणित जातिवादी राजनीति करते हुये उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने की सरेआम घोषणा कर रहे हैं और इसकी क्रियान्विति के लिये कवायद भी शुरू कर दी गई है।

यह सर्वविदित संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी राज्य को किसी भी पिछड़ा वर्ग, समुदाय या जाति को अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण देने का अधिकार तब ही मिलता है जब वह राज्य (स्टेट) संख्यात्मक आंकड़ों से उस पिछड़े वर्ग, समुदाय या जाति का सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (उस पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या अनुपात का 50 प्रतिशत से कम) प्रमाणित कर देती है। और इसके साथ ही संख्यात्मक आंकड़ों से यह भी प्रमाणित कर दिया जाता है कि उस पिछड़ा वर्ग, समुदाय या जाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा इन्द्रा साहनी के प्रकरण में दिये गये निर्णय और संविधान के अनुच्छेद 16(4)बी के प्रावधानानुसार यह सुस्थापित संवैधानिक बाध्यता है कि अनुच्छेद 16(4) के अधिन कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण केन्द्र सरकार को ईडब्ल्यूएस(आर्थिक कमजोर वर्ग) को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 16(6) जोड़ना पड़ा। यह भी सुस्थापित संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं वरन् केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व (उस पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या अनुपात का 50 प्रतिशत) के लिए ही दिया जा सकता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व ''पर्याप्त'' के दोगुने से भी अधिक हो चुका है। अत: संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तत्काल बंद होना चाहिये।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2019 में धृणित जातिवादी राजनीति करते हुये एमबीसी के नाम से 5 प्रतिशत आरक्षण देते वक्त संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों की जानबूझ कर अवहेलना की गई जो प्रकटत: उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ का अक्षम्य और आपराधिक उल्लंघन है। राज्य के मुख्यमंत्री को उनके पद की संवैधानिक शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की साक्षी में राज्य के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से इसलिए दिलाई जाती है कि वह मुख्यमंत्री अपने क्रियाकलापों में संविधान के प्रावधानों का और हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों का अक्षरश: पालन करेगा।

अशोक गहलोत द्वारा उपरोक्त वर्णित संविधान के प्रावधानों का, अनेक संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों का तथा अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किये जाने के दुराशय से आरक्षित वर्ग का आरक्षण अविधिक एवं असंवैधानिक तरीके से बढाने की कवायद की जा रही है। वे अपने चेहेते किसी सेवानिवृत भ्रष्ट आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में समिति बनाकर फर्जी आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आम जनता की आंखों में धूल झोंककर अपने घृणित जातिवादी कृत्यों को अंजाम देते हैं- भटनागर समिति रिपोर्ट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्ष 2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार बनवाई गई ओबीसी आयोग (इसरानी आयोग) की रिपोर्ट को निरस्त किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री द्वारा अपनी घृणित जातिवादी राजनीति के अपवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो आरक्षित वर्ग का आरक्षण अविधिक/असंवैधानिक रूप से बढाने की घोषणा की गई है उसे पूरा करने के लिए वहीं कृत्य किया जायेगा और पुन: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आम जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए न्यायिक निर्णयों, संविधान के प्रावधानों और अपनी संवैधानिक शपथ का सरे आम उल्लंघन किया जायेगा।

आप राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। आप दोनों का ही यह सर्वप्रथम और परम पवित्र कर्तव्य हैं कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक व्यवस्थाओं और न्यायपालिका के निर्णयों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जावें। और मुख्यमंत्री महोदय को संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठों के निर्णयों और अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने से रोका जाए।

किसी भी सेवा संवर्ग में नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी करते समय आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व घोषित किया जाना अनिवार्य किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों के अधीन किसी भी सेवा संवर्ग में आरक्षण का प्रावधान करने से पूर्व संबंधित आरक्षित वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि यदि किसी सेवा संवर्ग में किसी आरक्षित वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किया जाता है तो किसी भी सरकार को किसी भी आरक्षित वर्ग के कोई आरक्षण प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखने में आया है कि किसी भी सेवा संवर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते समय या उसकी विज्ञप्ति जारी करते समय राज्य द्वारा उपरोक्त अनिवार्य शर्त की पालना किये बिना आंख मूंद कर आरक्षण के प्रावधान किये जा रहे है। जो कि पूर्णतया अविधिक और अंसवैधानिक है।

पत्र में यह निवेदन किया है कि:-

1. किसी भी सेवा संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया चालू करने से पूर्व उस सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संख्यात्मक आंकड़े अनिवार्य रूप से जुटाये जाए।
2. उस सेवा संवर्ग के विभाग से संबंधित सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव द्वारा संख्यात्मक आंकड़े अंकित करते हुये यह प्रमाणपत्र जारी किया जावें कि उस सेवा संवर्ग में अमुक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होने के कारण आरक्षण प्रावधान किया जाना समुचित है।
3. उपरोक्तानुसार प्रमाणपत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो संख्यात्मक आंकड़ों से आधार दिया गया है उन संख्यात्मक आंकड़ों को नियुक्ति की विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया जाना अनिवार्य किया जाए।
4. यह भी स्पष्ट निर्देश जारी करवाये जावें कि किसी आरक्षित वर्ग का किसी सेवा संवर्ग में प्रतिनिधित्व निर्धारित करते समय उस आरक्षित वर्ग के आरक्षित पदों और अनारक्षित पदों पर कार्यरत सभी कार्मिकों की संख्या को जोड़ कर ही पर्याप्त अथव अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जावे।

पत्र में अनुग्रह किया गया है कि उपरोक्तानुसार बाध्यकारी निर्देश जारी करके संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों के निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करवाई जावे।

पाराशर नारायण शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

-:: निर्वाचन आदेश:: -

यह कि समता आन्दोलन समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की प्रक्रिया दिनांक 28.06.2023 को शुरू की गई थी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30.06.2023 की सांय 8.00 बजे तक केवल एक नामांकन पत्र श्री पाराशर नारायण शर्मा सुपुत्र श्री के.एल.शर्मा, निवासी 10 लक्ष्मी विहार, सागर रोड, बीकानेर का प्राप्त हुआ। अन्य किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि दिनांक 05.07.2023 सांय 8.00 बजे तक श्री पाराशर नारायण शर्मा ने अपना नामांकन पत्र वापस नही लिया है।

जांच करने पर श्री पाराशर नारायण शर्मा का नामांकन पत्र सही पाया गया है। अभी तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अत: श्री पाराशर नारायण शर्मा सुपुत्र श्री के.एल.शर्मा को एतद्वारा समता आन्दोलन समिति राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है।

ह0
(विनोद शर्मा)
निर्वाचन अधिकारी

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in